यूआईडीएआई द्वारा बायोमेट्रिक/आधार (यूआईडी) लॉकिंग सुविधा

एईपीएस लेनदेन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आधारित लेनदेन हैं जिसमें यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) निवासियों के बायोमेट्रिक डेटा के प्रमाणीकरण के लिए उत्तरदायी हैं तथा अधिग्रहणकर्ता और जारीकर्ता बैंक के बीच लेनदेन को प्रोसैस करने की जिम्मेदारी एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) की है।

एईपीएस लेन-देन में धोखाधड़ी मूल रूप से या तो ग्राहक के बायोमेट्रिक डेटा की क्लोनिंग या ग्राहक द्वारा अनजाने में केवाईसी एवं सरकार से मौद्रिक लाभ लेने के नाम पर अनजान लोगों को बायोमेट्रिक देने के माध्यम से होती है। इस प्रकार की धोखाधड़ी मूल रूप से बीसीए द्वारा हैंडहेल्ड उपकरणों का उपयोग करके की जाती है।

निवासियों की बायोमेट्रिक क्लोनिंग को रोकने के लिए यूआईडीएआई ने एईपीएस पर लाइव सभी बैंकों के लिए एफआईआर (फिंगर इमेज रिकॉर्ड) और एफएमआर (फिंगर मिनिएचर रिकॉर्ड) को लाइव करना अनिवार्य कर दिया है। हमारा बैंक एईपीएस लेनदेन के लिए 31/07/2022 से एफआईआर और एफएमआर पर लाइव हो चुका है।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आधारित लेनदेन (एईपीएस) से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए, ग्राहक किसी भी मौद्रिक नुकसान से बचने के लिए यूआईडीएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली बायोमेट्रिक लॉकिंग या आधार लॉकिंग सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

यूआईडीएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली बायोमेट्रिक/आधार (यूआईडी) लॉकिंग सुविधा से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:-

A) आधार (यूआईडी) लॉकिंग/अनलॉकिंग एफएक्यू

Q1. आधार (यूआईडी) लॉक और अनलॉक क्या है?

उत्तर : एक निवासी के लिए, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता हमेशा एक प्राथमिक चिंता होती है। अपने आधार नंबर की सुरक्षा को मजबूत करने और निवासी को उसका नियंत्रण प्रदान करने के लिए, यूआईडीएआई आधार नंबर (यूआईडी) को लॉक और अनलॉक करने की प्रक्रिया उपलब्ध करवाता है।

निवासी अपने आधार (यूआईडी) को यूआईडीएआई की वेबसाइट (www.myaadhaar.uidai.gov.in) या mAadhaar ऐप के माध्यम से लॉक कर सकते हैं।

ऐसा करने से निवासी बायोमेट्रिक्स, जनसांख्यिकी और ओटीपी के लिए यूआईडी, यूआईडी टोकन और वीआईडी का उपयोग करके किसी भी प्रकार का प्रमाणीकरण नहीं कर सकता है।

यदि निवासी यूआईडी को अनलॉक करना चाहता है तो वह यूआईडीएआई वेबसाइट या mAadhaar ऐप के माध्यम से नवीनतम वीआईडी का उपयोग करके ऐसा कर सकता है। आधार (यूआईडी) को अनलॉक करने के बाद, निवासी यूआईडी, यूआईडी टोकन और वीआईडी का उपयोग करके प्रमाणीकरण कर सकता है।

Q2. निवासी यूआईडी को कैसे लॉक कर सकता है?

उत्तर : यूआईडी लॉक करने के लिए, निवासी के पास 16 अंकों का वीआईडी नंबर होना चाहिए और लॉकिंग के लिए यह एक पूर्व-आवश्यकता है। यदि निवासी के पास वीआईडी नहीं है तो वह एसएमएस सेवा या यूआईडीएआई की वेबसाइट (www.myaadhaar.uidai.gov.in) के माध्यम से उत्पन्न कर सकता है।

एसएमएस सेवा : GVID <स्पेस> यूआईडी के अंतिम 4 या 8 अंक. 1947 को एसएमएस भेजें।

जैसे- GVID 1234.

आधार लॉक करने के लिए निवासी यूआईडीएआई की वेबसाइट देख सकते हैं:-

वेबसाइट लिंक: https://resident.uidai.gov.in/aadhaar-lockunlock

i) My Aadhaar टैब के तहत, Aadhaar Lock & Unlock services पर क्लिक करें।

ii) UID Lock Radio बटन का चयन करें और नवीनतम विवरण में यूआईडी नंबर, पूरा नाम और पिन कोड दर्ज करें और सुरक्षा कोड दर्ज करें।

iii) Send OTP पर क्लिक करें या TOTP चुनें और submit पर क्लिक करें।

आपका यूआईडी सफलतापूर्वक लॉक हो जाएगा।

Q3. निवासी यूआईडी को कैसे अनलॉक कर सकता है?

उत्तर : यूआईडी अनलॉक करने के लिए निवासी के पास नवीनतम 16 अंकों का वीआईडी होना चाहिए और यदि निवासी 16 अंकों का वीआईडी भूल गया है तो वह एसएमएस सेवाओं के माध्यम से नवीनतम वीआईडी प्राप्त कर सकता है।

एसएमएस सेवा : RVID स्पेस यूआईडी के अंतिम 4 या 8 अंक लिखकर 1947 को एसएमएस भेजें।

जैसे- RVID 1234

आधार अनलॉक करने के लिए निवासी यूआईडीएआई की वेबसाइट देख सकते हैं:-

वेबसाइट लिंक: https://resident.uidai.gov.in/aadhaar-lockunlock

i) Unlock Radio बटन का चयन करें,

ii) नवीनतम वीआईडी और सुरक्षा कोड दर्ज करें और send OTP पर क्लिक करें या TOTP चुनें और submit पर क्लिक करें।

आपका यूआईडी सफलतापूर्वक अनलॉक हो जाएगा।

निवासी mAadhaar ऐप के माध्यम से आधार लॉक या अनलॉक सेवा का भी उपयोग कर सकता है

B) <u>बायोमेट्रिक लॉकिंग / अनलॉकिंग एफएक्यू</u>

Q1. बायोमेट्रिक्स किसे और कब लॉक करना है?

उत्तर : जिन आधार नंबर धारकों के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर है, वे अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं। इस सुविधा का प्रयोजन निवासी के बायोमेट्रिक्स डेटा की निजता और गोपनीयता को मजबूत करना है।

बायोमेट्रिक्स को लॉक करने के बाद यदि किसी यूआईडी का उपयोग बायोमेट्रिक्स मोडैलिटी (फिंगरप्रिंट/आईरिस/फेस) का उपयोग करके किसी भी प्रमाणीकरण सेवा को लागू करने के लिए किया जाता है, तो बायोमेट्रिक्स लॉक होने का संकेत देने वाला एक विशिष्ट एरर कोड '330' प्रदर्शित किया जाएगा और संस्था बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर पाने में सक्षम नहीं होगी।

Q2. बायोमेट्रिक लॉकिंग क्या है?

उत्तर : बायोमेट्रिक लॉकिंग/अनलॉकिंग एक ऐसी सेवा है जो आधार धारक को अपने बायोमेट्रिक्स को अस्थायी रूप से लॉक और अनलॉक करने की अनुमति देती है। इस सुविधा का उद्देश्य निवासी के बायोमेट्रिक्स डेटा की निजता और गोपनीयता को मजबूत करना है।

Q3. बायोमेट्रिक लॉक होने पर क्या होता है?

उत्तर : किया हुआ लॉक बायोमेट्रिक्स पुष्टि करता है कि आधार धारक प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट्स/आईरिस/फेस) का उपयोग नहीं कर पाएगा, यह किसी भी प्रकार के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को रोकने के लिए एक सुरक्षा फीचर है। यह इसे भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी संस्था किसी भी तरह से उस आधार धारक के लिए बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण नहीं कर सकती है।

Q4. कौन-सा/कितना बॉयोमीट्रिक डेटा लॉक किया जा सकता है?

उत्तर : बायोमेट्रिक मोडलिटी के रूप में फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरा लॉक हो जाएगा और बायोमेट्रिक लॉकिंग के पश्चात् आधार धारक उपरोक्त बायोमेट्रिक मोडेलिटी का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण करने में सक्षम नहीं होगा।

Q5. बायोमेट्रिक्स को अनलॉक (लॉक) कैसे करें?

उत्तर : एक बार निवासी बायोमेट्रिक लॉकिंग सिस्टम को सक्षम कर देता है तो उनका बायोमेट्रिक तब तक लॉक रहता है जब तक कि आधार धारक नीचे दिए गए किसी भी विकल्प को नहीं चुन लेता:
इसे अनलॉक करें (जो अस्थायी है) या
लॉकिंग सिस्टम को अक्षम करें

यूआईडीएआई की वेबसाइट, नामांकन केंद्र, आधार सेवा केंद्र (एएसके) पर जाकर, mAadhaar ऐप के माध्यम से निवासी द्वारा बायोमेट्रिक अनलॉक किया जा सकता है।

नोट : इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर आवश्यक है।

यदि आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत नहीं है तो निकटतम नामांकन केंद्र/मोबाइल अपडेट केंद्र पर जाएं।

C) आधार/बायोमेट्रिक की लॉकिंग/अनलॉकिंग से संबंधित सामान्य एफएक्यू

Q1. आधार एसएमएस सेवा क्या है?

उत्तर: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने "एसएमएस पर आधार सेवा" नामक एक सेवा शुरू की है जो उन आधार संख्या धारकों को जिनकी विभिन्न आधार सेवाओं का उपयोग करने के लिए इंटरनेट/निवासी पोर्टल/एम-आधार आदि जैसी सुविधाओं तक पहुँच नहीं है, उनको एसएमएस के माध्यम से वर्चुअल आईडी जनरेशन/रिट्रीवल, आधार लॉक/अनलॉक आदि करने में सक्षम बनाती है।

- निवासी पंजीकृत मोबाइल से 1947 पर एसएमएस भेजकर आधार सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
- निवासी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 1947 पर दिए गए प्रारूप में एक एसएमएस भेजकर वीआईडी जेनरेशन/रिट्रीवल, लॉक/अनलॉक आधार नंबर आदि कर सकते हैं।
- वर्चुअल आईडी (वीआईडी) पर अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें : https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html

Q2. क्या मुझे सभी आधार एसएमएस सेवाओं के लिए ओटीपी जनरेट करने की आवश्यकता है?

उत्तर: आधार लॉक/अनलॉक और बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक फंक्शन के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन जरूरी है। वीआईडी जनरेशन और रिट्रीवल फंक्शन के लिए आपको ओटीपी की जरूरत नहीं है।

- **ओटीपी प्राप्त करने के लिए एसएमएस भेजें** -> GETOTP आधार संख्या के अंतिम 4 या 8 अंक

  उदाहरण - GETOTP 1234

Q3. एसएमएस सेवा के साथ आधार संख्या को कैसे लॉक/अनलॉक करें?

उत्तर: आधार नंबर लॉक करने के लिए :

ओटीपी अनुरोध इस रूप में भेजें -> GETOTP आधार संख्या के अंतिम 4 या 8 अंक प्राप्त करें फिर लॉकिंग अनुरोध इस रूप में भेजें -> LOCKUID आधार संख्या के अंतिम 4 या 8 अंक 6 अंकों की OTP

आपको अपने अनुरोध के लिए एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

एक बार जब यह लॉक हो जाता है तो आप अपने आधार नंबर का उपयोग करके किसी भी प्रकार का प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक, जनसांख्यिकीय या ओटीपी) नहीं कर पाएंगे। तथापि, आप अभी भी प्रमाणीकरण करने के लिए अपनी नवीनतम वर्चुअल आईडी का उपयोग कर सकते हैं।

आधार संख्या को अन-लॉक करने के लिए आपके पास अपनी नवीनतम वर्चुअल आईडी होनी चाहिए:

वर्चुअल आईडी नंबर के अंतिम 6 या 10 अंकों के साथ ओटीपी अनुरोध इस प्रकार भेजें

GETOTP वर्चुअल आईडी के अंतिम 6 या 10 अंक

फिर अनलॉकिंग अनुरोध इस रूप में भेजें -> UNLOCKUID वर्चुअल आईडी के अंतिम 6 या 10 अंक 6 अंकों की ओटीपी

Q4 वर्चुअल आईडी क्या है?

उत्तर: वीआईडी या वर्चुअल आईडी एक अस्थायी, प्रतिसंहरणीय 16-अंकीय यादृच्छिक संख्या है जिसे आपके आधार नंबर के साथ मैप किया जाता है।

जब भी प्रमाणीकरण या ई-केवाईसी सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है तो आधार संख्या के बदले वर्चुअल आईडी का उपयोग किया जा सकता है। आधार संख्या का उपयोग करने के

समान तरीके से वर्चुअल आईडी का उपयोग करके प्रमाणीकरण किया जा सकता है। वर्चुअल आईडी से आधार संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है।